

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम उपखण्ड अधिकारी जम्मा

शमखन

राजस्थान सरकार

13/07/2021

III RT Act

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी है

सिद्ध हुक्म

हुक्म का कार्यकारी मय इनिशियटिव्स जज

12-21

यह पत्र/प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा III RT Act द्वारा वकील श्री S.N. लवानीया पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट को अवलोकन किया गया। पत्रावली वर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवाकीगण/अप्राधीगण को सुनवाई हेतु तालव किया जाकर दि. 7-4-21 को पेश हो।

24/2

पत्रावली देख लई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। निम्न पोस्टमैन अधिकारी महोदय दौरे/अवकाश/अन्य राजकार्य में तश्रीफ रखते है। पत्रावली दि. 8-2-21 को पेश हो।

8-7-21

पत्रावली पेश हुई वकील छावणी उपस्थित ही छावणी है। ऊ नोटिस बाद तामील संलग्न ही तहसीलदार नैनवां की जवाब हेतु पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 25-10-21 को पेश हो।

प्रशासन गांवों के अभियान 2021 केम्प को केटिस ज. 1

21/10/21

25/10/21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत दिनांक 10-11-21 को पेश हो।

10-11-21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोट पीपल्स में आज पेश हुई पक्षकारान के नोटिस बाद तामील संलग्न ही तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार

ग्राम सबलपुरा के खसरा है. $\frac{190}{0-10}$, $\frac{207}{1-08}$

$\frac{208}{1-03}$, $\frac{210}{1-03}$, $\frac{211}{1-05}$, $\frac{212}{1-05}$, $\frac{213}{2-15}$, $\frac{179}{2-04}$

$\frac{237}{2-08}$, $\frac{236}{3-06}$ श्मि पर मी पर सीमा बाबत

उपखण्ड अधिकारी नैनवा (बून्दी)

क्र.सं.

पड़ोसी स्वतंत्रदारी से विवाद ही पत्थरगढ़ी के समग्र ग्राम पर शांतिभंग होने की संभावना है। इस उन्धाधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस जाते के साथ पत्थरगढ़ी किया जाना उचित होगा।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिपोर्ट वस्तावेज, तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से ग्राम पर विवाद की स्थिति से अवगत करवाया गया है। लेकिन उक्त खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में किसी न्यायालय की किसी प्रकार की निषेधाज्ञा की सूचना तहसीलदार रिपोर्ट में नहीं दी गई है। अतः ग्राम सबलपुरा पत्थरगढ़ी

मण्डल मोतीपुरा तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2015-78 के खाता सं. 149 की श्रमि खसरा सं. 190

$\frac{207}{1-08}$, $\frac{208}{1-03}$, $\frac{210}{1-03}$, $\frac{211}{1-05}$, $\frac{212}{1-05}$, $\frac{213}{2-15}$, खाता सं. 131 की ख.सं. 179, खाता सं.

4 के ख.सं. $\frac{237}{2-08}$, खाता सं. 120 की ख.सं. $\frac{236}{3-06}$

श्रमियों पर किसी अन्य न्यायालय की निषेधाज्ञा नहीं है। पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते ही निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बुन्दी)